भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3174
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना परियोजनाएं

+3174. श्री नवीन जिंदलः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वीकृत की गई, पूरी की गई और कार्यान्वित की जा रही एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धित अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का वर्तमान अनुमानित स्तर क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में शीतागार क्षमता का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एक घटक योजना-एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला स्कीम) को कार्यान्वित्त कर रहा है । दिनांक 30.06.2026 तक, 409 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 311 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और प्रचालित चुकी हैं और 98 परियोजनाओं में काम चल रहा है। इसका एक व्यापक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) एमओएफपीआई ने संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ भारत में विभिन्न कृषि उपज के फसल के बाद के नुकसान को निर्धारित करने के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस) के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया था। देश में विभिन्न कृषि उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले अनुमानित नुकसान (प्रतिशत में) नीचे दिए गए हैंः

फसल/सामग्री	**% में अनुमानित फसलोत्तर हानि**
अनाज	3.89-5.92
दाल	5.65-6.74
तिलहन	2.87-7.51
फल	6.02-15.05
सब्जियां	4.87-11.61
बागवानी फसलें और मसाले	1.29-7.33
दूध	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	8.76
मांस	2.34

मुर्गी पालन	5.63
अंडा	6.03

(ग) शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 के दौरान 113.52 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 के दौरान 125.71 करोड़ रुपये अनुमोदित शीत श्रृंखला परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को जारी किए गए थे।

(घ) एमओएफपीआई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शीत श्रृंखला योजना, ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) योजना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना जैसी घटक योजनाओं को कार्यान्वित्त कर रहा है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज को अनुमोदित परियोजनाओं की घटक सुविधाओं में से एक के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ये घटक योजनाएं मांग आधारित हैं और इन्हें देश भर में कार्यान्वित्त किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत, लागू योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि की उपलब्धता के अधीन, समय-समय पर पात्र संस्थाओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता अनुदान या सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सब्सिडी दर सामान्य क्षेत्रों के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से और कठिन क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों सहित) के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं के लिए 50% है। शीत श्रृंखला और एपीसी योजनाओं के साथ-साथ ओजी योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन परियोजनाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी 10.00 करोड़ रुपये है, जबकि ओजी योजना के अंतर्गत एकीकृत परियोजनाएं 15.00 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के लिए पात्र हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए के एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित्त कर रहा है ताकि शीत भंडारण अवसंरचना को बढ़ाकर फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सके। एमआईडीएच योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीत भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी संचालित है, जिसके लिए संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों, बाईब्रेंट विलेज, अंडमान एवं निकोवार और लक्षद्वीप समूह के मामले में परियोजना लागत के 50% की दर से उपलब्ध है।

डीए एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत काम करने वाला राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश भर में एक मांग आधारित योजना, यथा "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" को कार्यान्वित्त कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक कोल्ड स्टोरेज क्षमता के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी स्वीकृत की जाती है जिसमें विभिन्न आकारों/प्रकार के कोल्ड स्टोरेज/प्याज स्टोरेज के लिए निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज और सीए स्टोर का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण किया जाता है।

अनुबंध

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना परियोजनाएं" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3174 भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक मंज़ूर, पूर्ण और चल रही परियोजनाओं की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार जानकारी

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण/ प्रचालनरत परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	1	1	0
2	आंध्र प्रदेश	37	25	12
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1
4	असम	2	2	0
5	बिहार	5	3	2
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	4	2	2
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0
10	गोवा	0	0	0
11	गुजरात	29	25	4
12	हरियाणा	23	18	5
13	हिमाचल प्रदेश	16	14	2
14	जम्मू और कश्मीर	7	5	2
15	झारखंड	0	0	0
16	कर्नाटक	20	14	6
17	केरल	8	4	4
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	11	9	2
21	महाराष्ट्र	77	59	18

22	मणिपुर	1	1	0
23	मेघालय	0	0	0
24	मिजोरम	2	2	0
25	नागालैंड	2	1	1
26	ओडिशा	9	5	4
27	पुडुचेरी	0	0	0
28	पंजाब	25	21	4
29	राजस्थान	14	13	1
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	26	15	11
32	तेलंगाना	15	11	4
33	त्रिपुरा	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	26	21	5
35	उत्तराखंड	30	27	3
36	पश्चिम बंगाल	17	12	5
	कुल	**409**	**311**	**98**
